# फर्द अहकाम

बनाम

/20

/वर्ष :

| तारीख आज्ञा व कार्यवाही | आज्ञा विस्तृत रूप से | विशेष विवरण |
|---|---|---|
| | 22.6.22 पत्रावली पेश हुयी P.O./ [illegible] कान्सोलेस [illegible] जनरल दिनांक [illegible] नुसार पत्रावली दिनांक 14/9/22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू | |
| | 14.9.22 पत्रावली पेश हुई पक्षकार वकील उपस्थित है जवाब प्रा.पत्र हेतु पत्रावली दिनांक 7.12.22 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) | |
| | 7/12/22 पत्रावली पेश हुई। पक्षकारान वकील उप.है। जवाब अप्रार्थी वकील द्वारा पेश नहीं किया जा रहा है। अतः जवाब अप्रार्थीगण का बदकर बहक प्रा. पत्र पक्षकारान वकील की सुनी गई व प्रा. पत्र का अवलोकन किया गया तो बावफद सूचना के व हाजीर होने पर भी 5/10/18 से आज दिनांक तक जवाब पेश नहीं किया न ही प्रा. पत्र के बाबत में आपत्ति पेश की, इससे प्रार्थी का प्रा. पत्र सही प्रकार से साबित होने से T.I आदेश अप्रार्थी का प्रा. पत्र 151 का खारिज करते हुए T.I आदेश दिनांक 13/6/18 को बहाल किया जाना उचित समझते है। अतः अप्रार्थीगण को पाबन्द कर अस्थायी निषेधाज्ञा से साफेसलावाद T.I आदेश दिनांक 13/6/18 का बहाल किया जाता है। पत्रावली बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। उपखण्ड अधिकारी चाकसू (जयपुर) | |